कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (सहयोग पोर्टल) पंजीकरण संख्या- आर0ई0एफ0-603466 के माध्यम से प्राप्त परिवाद में जो पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बखरी दोआ, प्रखंड-चेहराकलां, वैशाली की शिक्षण व्यवस्था में घोर अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि विद्यालय के शिक्षक मो. साबिर अली, मो. सज्जाद एवं मो. नेसार अहमद द्वारा कक्षाएं समय पर संचालित नहीं की जाती हैं तथा शिक्षण अवधि में मोबाइल फोन का उपयोग किया जाता है, साथ ही प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।

उक्त परिवाद के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चेहराकलां द्वारा दिनांक 06.08.2026 को विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा अपने पत्रांक 396, दिनांक 06.08.2026 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं संबंधित शिक्षकों/प्रधानाध्यापक से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। शिक्षक मो. साबिर अली, मो. सज्जाद एवं मो. नेसार अहमद निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उक्त शिक्षकों द्वारा रूटीन के अनुसार सभी विषयों का वर्ग संचालन नहीं किया जाता है तथा शिक्षण अवधि में मोबाइल का उपयोग किया जाता है। विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिदिन 6 कक्षा का संचालन नहीं करते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, शिक्षा के गुणवत्ता को प्रभावित करते हुए विभाग की छवि को धूमिल किया गया तथा बिना कार्य किए ही विभाग से वेतन प्राप्त कर राजस्व की हानि पहुंचाई गई। इन सभी यह कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय निर्देशों के उल्लंघन को दर्शाता है। चूँकि उक्त सभी शिक्षक 'विशिष्ट शिक्षक' हैं।

अतः मो. साबिर अली, मो. सज्जाद एवं मो. नेसार अहमद के विरुद्ध बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के प्रावधानों एवं तदालोक में प्रभावी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वृहत दंड अधिरोपित करने हेतु अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन किया जाता है।

सभी के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा,वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, चेहरा कला को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए आरोप पत्र की प्रति को संलग्न कर निर्देश दिया जाता है कि 45 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

Sd/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

ज्ञापांकः-.....1714......... हाजीपुर दिनांकः-.....07/08/26

प्रतिलिपिः-वरीय कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07-8-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली
07/8/26